न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास नमित मेहता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 03/18 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 2 मु. बज्जु

—प्रार्थी

: ब ना म :

यमुनाधर पुत्र सुखाराम जाट सा. बजावा तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझनु

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।
2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री रामवतार बुरी।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 23.02.2021

1. प्रार्थी स्टेट उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं.2 मु. बज्जु की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.13 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी श्री यमुनाधर पुत्र सुखाराम जाट सा. बजावा तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझनु को अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.07 को उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 2 मु. बज्जु के चक 27 एमजीएम में मुरब्बा नं. 142/59 की 13—04 बीघा कमाण्ड भूमि का नियम विरूद्ध आवंटन किया गया जिसे निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली मंगवाई गयी। उभयपक्ष की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भुमि का आवंटन व विक्रय) नियम,1975 के अंतर्गत उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 2 मु. बज्जु के चक 27 एमजीएम में मुरब्बा नं. 142/59 की 13—04 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन की गई थी। विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है। आवंटन पत्रावली में उपलब्ध आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है तथा पत्रावली में आर्डर शीट नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में निर्धारित प्रकिया पूरी किये बिना और आवंटन पर्ची में हेराफेरी के द्वारा आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भुमि का आवंटन व विकय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है जिसके आवेदन पर आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा चक 3 एसएलएम में मुरब्बा नं. 235/15 में भूमि आवंटन की गयी थी। उक्त भूमि 50 प्रतिशत से अधिक अनकमाण्ड होने पर अप्रार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकर समिति की राय से अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को अन्य आरक्षित भूमि कोलायत नं. 2 चक 27 एमजीएम में मुरब्बा नं. 142/59 की 13.04 बीघा कमाण्ड भूमि विनिमय में आवंटित की गयी। अप्रार्थी की आवंटन पर्ची में कमेटी के सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है, यह कार्य अलोटी द्वारा नहीं किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा लॉटरी निकाली गयी है उस आवंटन पर्ची पर सभी सदस्यो के हस्ताक्षरो की व्यवस्था नहीं है अपितु आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो के हस्ताक्षर रजिस्टर में होते है। आवंटन पर्ची पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते है जो पर्ची पर मौजूद है। अप्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही विनिमय की कार्यवाही है तो आवंटन नियम 22(3) की परिधि में नहीं आता है। निवेदन किया कि उक्त कारणो से प्रार्थना–पत्र पत्र प्रार्थी नियम 22(3) उपनिवेशन आंवटन नियम,1975 खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी स्टेट द्वारा आवंटन खारिज किये जाने के संबध में उठाये गये बिन्दू प्रकियात्मक कमियों के संबध में है जैसें आवंटन पर्ची पर सभी सदस्यो के हस्ताक्षर न होना तथा विनिमय समिति की अनुशंषा की कार्यवाही विवरण पत्रावली में लगा नहीं होना। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को विनिमय में किए गए आवंटन को खारिज करने के संबध में है न कि मूल आवंटन आदेश को। ऐसी स्थिति में यदि केवल विनिमय में किए गये आवंटन आदेश को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी जिसको भूतर्पूक सैनिक कर्मचारी (Ex-Serviceman)कोटे में जमीन आवंटित हुई थी, उसकी मूल आवंटन की क्या स्थिति रहेगी, यह भी विचारणीय है। यह प्रार्थना पत्र प्रकियात्मक कमियो के आधार पर आवंटन खारिज करने के लिए लगाया गया था परन्तु प्रकियात्मक कमियां रखने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता है। बावजूद इसके पत्रावली पर आवंटन में प्रकियात्मक कमियां जैसे विनिमय समिति की बैठक आयोजित होने का प्रमाण नहीं होना व आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं होना, स्पष्ट है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में राज्य हित का ध्यान रखते हुए राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में अप्रार्थी को किए गये भू – आवंटन में नियमो का उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबध में आवंटन की विस्तृत जांच किया जाना न्यायेचित प्रतीत होता है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975 आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी श्री यमुनाधर पुत्र सुखाराम जाट सा. बजावा तह. उदयपुरवाअी जिला झुंझनु को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इगानप, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.2007 को कोलायत नं. 2 चक 27 एमजीएम में मुरब्बा नं. 142/59 की 13–04 बीघा कमाण्ड भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य /सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में आवंटन/विनिमय से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजो एवं आवंटन पत्रावलियों की विधिवत विस्तृत जांच कर 3 माह में न्यायोचित एवं आवंटन नियमानुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ कार्यालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को प्रेषित की जावे।

7. आदेश आज दिनांक **23.02.2021** को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,बीकानेर
जिला कलक्टर बीकानेर